International Journal of Information Movement *Vol. 8 Issue IX* *(January, 2024)*
Website: www.ijim.in *ISSN: 2456-0553 (online)* **Pages 43-45**

भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकार की खोज

डॉ॰ सोनिया डबास
एसोसिएट प्रोफेसर
लक्ष्मी बाई कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ,अशोक विहार, दिल्ली
Email-id: **soniadabas@lb.du.ac.in**

सार– भारत में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में महत्वपूर्ण कानूनी परिवर्तन हुए हैं, परन्तु सामाजिक मानदंड और कार्यान्वयन चुनौतियां बनी हुई हैं। ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रही महिलाओं को विधायी संशोधनों से बल मिला है, व पैतृक संपत्ति के मार्ग में आने वाली रुकावटें कम हुई है। कानूनी प्रगति के बावजूद, सांस्कृतिक दृष्टिकोण, पितृसत्तात्मक संरचना, जागरुकता में कमी न्यायसंगत प्रवर्तन में बाधा डालती है। महिला सशक्तिकरण और आर्थिक स्वतंत्रता प्रभावी कार्यान्वयन, शिक्षा और सामाजिक बदलाव पर निर्भर करती है। इस लेख में महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के कानूनी ढांचे, सामाजिक गतिशीलता और मार्ग में आने वाली बाधाओं का विश्लेषण किया गया है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें महिलाओं के लिए समान पहुंच और स्वामित्व सुनिश्चित करने के लिए जमीनी स्तर पर कानूनी सुधार और सांस्कृतिक परिवर्तन के संयोजन की आवश्यकता है।

संकेत शब्द– हिन्दु उत्तराधिकार, अधिनियम, पैतृक संपत्ति, लैंगिक भेदभाव, पितृसत्ता, महिला सशक्तिकरण

1.0 परिचय

भारतीय महिलाओं के संपत्ति अधिकार किसी भी अन्य देश की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों के समान ही है, जो सत्ता व प्रगतिशील तत्वों के बीच संघर्ष से विकसित हुए है। भारत में महिलाओं की विरासत और संपत्ति के अधिकार का प्रश्न लंबे समय से सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी ढांचे में गहराई से जुड़ा हुआ मुद्दा रहा है। प्रगतिशील सुधारों व संवैधानिक गारंटी के बावजूद, असमानताएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। जिससे लाखों महिलाएं लगातार प्रभावित हो रही है। इस लेख में महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों से जुड़ी जटिलता, उसमें आने वाली चुनौतियों तथा महिला सशक्तिकरण और समानता की दिशा में चल रहे विभिन्न प्रयासों पर प्रकाश डाला गया है। इसके साथ ही प्रथागत अधिकारों की अनुपस्थिति में कानूनी अधिकारों की प्रभावहीनता पर भी चर्चा की गई है।

2.0 ऐतिहासिक संदर्भ

परंपरागत रूप से, भारत में विरासत व संपत्ति कानून पुरुष उत्तराधिकारियों के पक्ष में रहे हैं, जिसे पितृसत्तात्मक व्यवस्था मजबूत बना रहा है, जहां पैतृक संपत्ति पुरुष से पुरुष को हस्तांतरिक होती रही है। लड़कियों को अक्सर पैतृक सपंत्ति नहीं दी जाती, और विधवाओं को भी अपने पति की संपत्ति पर सीमित अधिकारी ही प्राप्त थे। पिता व पति की संपत्ति से अक्सर बेटियों व पत्नियों को वंचित ही रहना पड़ता था। ये अधिकार प्राचीन रीति–रिवाजो, सामाजिक मानदंडों और धार्मिक प्रथाओं में उलझे हुए थे, जिस कारण पैतृक संपत्ति को विशेष संदर्भ में लैंगिक समानता एक मृगतृष्णा बनी रही है। भारत में सपत्ति अधिकारों के संबंध में महिलाएं भी एकमत नहीं है। धर्मों की विविधता के कारण समान आचार संहिता अभी भी दूरगामी लक्ष्य प्रतीत होती है। विभिन्न धर्म संपत्ति कानूनों के संबंध में अलग–अलग मूल्यों व रीति–रिवाजों का पालन करते है।

3.0 कानूनी पक्ष

भारत में संपत्ति अधिकारों में लैंगिक समानता स्थापित करने के लिए विभिन्न कानूनी सुधार किए गए है। 1956 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम इस दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदू महिलाओं को समान संपत्ति अधिकार प्रदान करना था। इस अधिनियम में 2005 में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव लाए गए, जिसके पश्चात् बेटियों को पैतृक संपत्ति में बेटों के समान अधिकार मिल गये।

सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 6 में निहित भेदभाव को दूर किया गया है, जिसके तहत पुत्री को भी जन्म से ही पुत्र के समान उत्तराधिकारी माना गया है। वर्तमान में 2005 के सपंत्ति कानून की धारा 125 के तहत महिलाएं विवाह के पश्चात् भी पैतृक संपत्ति के लिए दावा प्रस्तुत कर सकती है, यदि उसका पति उसका भरण–पोषण न कर रहा हो। बावजूद इसके कार्यान्वयन संबंधी कमियों और सामाजिक प्रथाओं ने वास्तविकता में महिलाओं को पैतृक संपत्ति अधिकारों से कोसो दूर रखा है।

4.0 चुनौतियां और बाधाएं

व्यापक कानूनी सुधारों के बावजूद, महिलाओं को अभी भी संपत्ति अधिकारों के समक्ष कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। समाज में गहराई से अपनी जड़े जाम चुके पितृसत्तात्मक रवैये, पारिवारिक प्रतिरोध और कानूनी प्रावधानों के विषय में जागरुकता व जानकारी की कमी अक्सर महिलाओं को उनके उचित हिस्से का दावा करने से रोकती है। इसके अलावा अपर्याप्त प्रवर्तन तंत्र और अति लंबी कानूनी प्रक्रियां महिलाओं की कठिनाईयों को ओर बढ़ा देती है, खासकर हाशिए पर रहने वाले समुदायों की औरतें इससे अधिक प्रभावित होती है।

भारतीय संविधान महिलाओं को संपत्ति के संबंध में पुरुषों के समान ही अधिकार देता है। लेकिन ज्यादातर महिलाओं को इन अधिकारों के लिए खुद अपने ही परिवार के विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक "आर्दश बेटी" को उनके अनुसार संपत्ति में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। पढ़े–लिखे, नौकरी–पेशा माता–पिता भी बेटी को पारिवारिक पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं देना चाहते, यह सोच नगरीय क्षेत्रों के बजाए ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

5.0 सशक्तिकरण की ओर नये कदम

हाल ही के कुछ वर्षों में महिलाओं को सशक्त बनाने और संपत्ति अधिकारों के संबंध में जागरुकता बढाने के लिए विभिन्न नई पहले सामने आई है। कई गैर सरकारी संगठन, महिला जागरुकता आन्दोलन और कानूनी सहायता केन्द्र महिलाओं को इस संदर्भ में शिक्षित करने और उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है। "बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ" जैसी सरकारी योजनाओं का उद्देश्य लैंगिक भेदभाव को संबोधित करना और लड़कियों के संपत्ति अधिकारों को बढावा देना है। साथ ही "स्त्री धन योजना" जैसी योजनाएं भारतीय समाज में महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्रता और स्वालंबन के लिए सहायता प्रदान करती है, इसके अलावा कुछ राज्यों में महिलाओं के लिए विशेष कानूनी सुरक्षा और अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए गये है।

समय के साथ धीरे–धीरे परिवर्तन आया है, परन्तु समाज में महिलाओं के पैतृक संपत्ति के अधिकरों को लेकर संकीर्ण मानसिकता में बदलाव की कोशिश लगातार जारी है।

6.0 आगे की राह

पैतृक संपत्ति के अधिकरों में लैंगिक समानता हासिल करने के लिए कानूनी सुधारों, सामुदायिक सहभागिता और शैक्षिक जागरुकता के साथ–साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। प्रवर्तन तंत्र को मजबूत करना मौजूदा कानूनों के विषय में जागरुकता बढ़ाना और भेदभावपूर्ण व्यवहार को चुनौती देना महिला सशक्तिकरण और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में आवश्यक कदम है। इसके अलावा लैंगिक समानता और महिलाओं के अधिकारों के प्रति सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव के बढ़ावा देना स्थायी परिवर्तन के लिए अति महत्वपूर्ण है।

महिलाओं के संपत्ति के अधिकारों को वास्तविकता में लाने और समाज में उनके प्रति समानता के अधिकार का सम्मान करने की आवश्यकता है। इसमें समाज विशेष रूप से, सरकार और सभी सामाजिक संगठनों की सहयोगी भूमिका होनी चाहिए।

7.0 निष्कर्ष

भारत में महिलाओं की पैतृक संपत्ति के अधिकार इतिहास, सांस्कृतिक और कानूनी कमियों के कारण एक जटिल और बहुआयामी मुद्दा बने हुए है। हालाँकि विधायी सुधारों की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन लगातार चुनौतियाँ और सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के संपत्ति अधिकारों में बाधा बने हुए है। कानूनी जागरुकता, सामुदायिक गतिशीलता के माध्यम से महिलाओं को सशक्त बनाने, उनके संपत्ति संबंधी अधिकारों को साकार करने तथा भारत के विविध समाज में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने के लिए अति महत्वपूर्ण है। महिलाओं के विकास में समाज का विकास और समृद्धि निहित है, जो सभी को एक उच्चतम स्तर की समृद्धि और समानता की दिशा में अग्रसर करेगा। इसलिए हमें समाज की सभी वर्ग की महिलाओं के संपत्ति अधिकारों की उचित व्यवस्था के लिए ओर दृढ़संकल्प होकर लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है।

8.0 संदर्भ सूची

i. Anu Saksena, Gender and Human Rights Status of Women Worker in India, Shipra Publication Delhi, 2004

ii. Jayati Ghosh "Uncovering Women's Work" in Missing half the story – Journalism as if Gender Matters, Kalpana Sharma (ed.) Zubaan Publisher, New Delhi, 2010

iii. Leela Desai, Issues in Feminism, Pointer Publication, Jaipur, 2004

iv. Nitya Rao, "Good Women do not Inherit Land" in Politics of Land and Gender in India, Social Science Press and Orient Black Swan, New Delhi, 2008.

v. N Bose, S das, Integenerated effects of improving women's property rights : Evidence from India.